न्यायालयः—अपर सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.।
पीठासीन अधिकारी :— आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक निगरानी याचिका सं. :— 12/2025, सी.आई.एस. नं. :— 12/2026
सी.एन.आर. नं. :— RJDK08-000276-2025
निर्णय अपील दिनांक :— 01/06/2026

---

1. **हेमलता उर्फ दिव्या पुत्री कमल किशोर पत्नी ललित कुमार, उम्र 29 वर्ष, हाल निवासी कासट मोहल्ला जलेबी चौक स्टेशन रोड़ बोरावड़, पुलिस थाना मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।**

—— निगरानीकर्ता

ब ना म

1. **ललित कुमार पुत्र रमेशचन्द, उम्र 33 वर्ष, निवासी गोडादा, जिला सीकर हाल निवासी लता सिनेमा के पास गोकुलधाम सोसायटी झोटवाड़ा, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जिला जयपुर, राजस्थान।**

——— गैर निगरानीकर्ता

उपस्थितिः—

निगरानीकर्ता की ओर से	**—**	**अधिवक्ता श्री विजयसिंह राजपुरोहित, श्री जावेद हुसैन, श्री विपुल कुमार।**
गैर निगरानीकर्ता की ओर से	**—**	**अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान, श्री संजय खान।**

श्री रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस., अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना द्वारा फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 309/2022 बअनुवान हेमलता उर्फ दिव्या बनाम ललित कुमार बाबत् अंतरिम भरण—पोषण में पारित आदेश दिनांक 09.07.2025 के विरूद्ध निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 397 दं.प्र.सं.

दिनांक :— 01/06/2026

—:: निर्णय ::—

1. हस्तगत प्रकरण में निगरानीकर्ता हेमलता उर्फ दिव्या को प्रार्थीया व गैर निगरानीकर्ता ललित कुमार को अप्रार्थी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
2. निगरानीकर्ता हेमलता उर्फ दिव्या ने गैर निगरानीकर्ता ललित कुमार के विरूद्ध विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना के द्वारा फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 309/2022 बअनुवान हेमलता उर्फ दिव्या बनाम ललित कुमार में दिनांक 09.07.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी याचिका पेश की है, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विचारण न्यायालय के समक्ष **अंतरिम भरण—पोषण का प्रार्थना—पत्र** इस आशय का पेश किया कि वर्तमान में अपने माता—पिता के पास उपरोक्त पते पर निवास कर रही है

तथा अप्रार्थी भी उपरोक्त पते पर निवास कर रहा है। अप्रार्थी, प्रार्थीया का पति है तथा प्रार्थीया की शादी प्रार्थीया के माता–पिता एवं परिवार वालों ने बडी धूम–धाम के साथ दिनांक 25–11–2020 को अप्रार्थी ललित कुमार के साथ सम्पन्न की थी। शादी अपनी हैसियत से बढकर की तथा प्रार्थीया के माता पिता व परिवार वालों ने तथा रिश्तेदारो ने सोने–चांदी के आभूषण एवं घरेलू सामान दिये थे। शादी के बाद ससुराल जाते ही अप्रार्थी व उसके परिवार वालो ने ताने देने शुरू कर दिया था तथा उपरोक्त सभी अप्रार्थी कहते कि भूखे घर की आ गई, तुम्हारे माता–पिता ने समाज में हमारी नाक कटवा दी, हमारी हैसियत के अनुसार दहेज नहीं दिया है, शादी से पहले तुम्हारे माता–पिता ने मोटरसाईकिल व पांच लाख रूपये देने की बात कही थी परन्तु कुछ नहीं दिया। अप्रार्थी व उसके परिवार वाले दहेज की अनुचित मांग को लेकर प्रार्थीया को परेशान करने लगे। प्रार्थीया वापस ससुराल जयपुर, जहां अप्रार्थी व उसके परिवार वाले निवास करते है, वहां गयी तो अप्रार्थी व उसके परिवार वालों ने दहेज की अनुचित मांग की। प्रार्थीया द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट कर उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर दिनांक 17–07–2021 को प्रार्थीया को घर से बेदखल कर उसे बोरावड़ छोड़कर चले गये व दहेज की मांग की पूर्ति नहीं करने पर स्त्रीधन बेचान कर अप्रार्थी की दूसरी शादी करने की धमकी दी तथा प्रार्थीया को अपने साथ ले जाने से इन्कार कर दिया, जिसका मुकदमा प्रार्थीया ने पुलिस थाना मकराना मे पेश कर रखा है। प्रार्थीया कोई काम नहीं जानती है। प्रार्थीया के आय का कोई स्त्रोत नहीं है। प्रार्थीया अपने स्वयं के भरण–पोषण करने में असमर्थ है जबकि अप्रार्थी स्वयं प्राईवेट एकाउण्ट का काम आईसक्रिम फैक्ट्री जयपुर में काम करता है जो 35000/–रूपये प्रतिमाह कमाता है। प्रार्थीया ग्राम बोरावड़ में मकान किराये पर लेकर रहती है जिसका 5000/–रूपये मासिक किराया है। प्रार्थीया का खाने खर्चे, कपड़े, दवाई इत्यादि में 15,000/–रूपये मासिक खर्चा आता है जो प्रार्थीया, अप्रार्थी से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया का आय का कोई स्त्रोत नही है, वह बीमार रहती है जबकि प्रार्थीया के ससुराल वालों की पैतृक खेत की जमीन ग्राम गाडोदा मे है, जिसकी कीमत लगभग 30,00,000/–रूपये है जिससे वार्षिक 5,00,000/–रूपये की आय होती है।

अप्रार्थी ने प्रार्थीया को बिना किसी कारण के छोड रखा है व भरण–पोषण नहीं दे रहा है। प्रार्थीया का बीमारी व भरण–पोषण का महावारी 20,000/–अक्षरे बीस हजार रूपये खर्चा दिलाया जावे।

4. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र का **जवाब अप्रार्थी** ने इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित दिनांक 25.11.2020 को प्रार्थीया की शादी अपार्थी के साथ होना सही है और विवाह के वक्त प्रार्थीया के माता–पिता ने जो भी दान–दहेज स्त्रीधन दिया था, वह प्रार्थीया ने एक झूटी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मकराना में 84/2022 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 आईपीसी में दर्ज करवाई थी, जिसमें विवाह के वक्त दिया गया तमाम स्त्रीधन थानाधिकारी मकराना द्वारा जब्त किया जाकर प्रार्थीया को सुपूर्द कर दिया जो प्रार्थीया हेमलता के पास आज भी मौजूद है। अप्रार्थी को उसके माता–पिता ने प्रार्थीया से कभी भी दहेज के रूप में पांच लाख रूपये व मोटरसाईकिल की मांग की और न ही प्रार्थीया को मांग को लेकर परेशान किया। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को मारपिटाई करके स्त्रीधन छीनकर दिनांक 17.07.2021 को अप्रार्थी ने अपने घर से नहीं निकाला बल्कि प्रार्थीया विवाह के पश्चात से ही अप्रार्थी के साथ रहना नहीं चाहती थी और प्रार्थीया विवाह की दिनांक के 05 माह पश्चात ही अपने माता–पिता से मिलने की कहकर अपने ससुराल से गई और बिना किसी कारण के पीहर में जाकर बैठ गई और झूटा मन–गढंत तथ्य के आधार पर एफआईआर दर्ज करवा दी जिसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थीया बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने पीहर में अपने माता–पिता के पास रहवास कर रही है और प्रार्थीया स्वयं कपड़े–सिलाई का धंधा करती है व जलेबी चैक बोरावड़ में प्रार्थीया ने फेंसी, लेडिज सामान व कॉस्मेटिक की दुकान चलाती है, जिससे प्रतिमाह 18–20 हजार रूपये की आय होती है। प्रार्थीया पर कोई भार–बोझ नहीं है। दूसरी ओर अप्रार्थी स्वयं पांच हजार रूपये प्रतिमाह कमाता है और अपने स्वयं का खर्चा भी मुश्किल से चला रहा है। प्रार्थीया अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रही है और अपने माता पिता के बहकावे में आकर पीहर में ही रहवास कर रही है इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थी से भरण–पोषण व अन्य किसी प्रकार का खर्चा प्राप्त करने की अधिकारिणी

नहीं है। अप्रार्थी के कोई पैतृक जमीन नहीं है और अप्रार्थी के माता पिता अकसर बीमार रहते है। अतः प्रार्थीया का अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 09.07.2025 को प्रार्थीया का अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता हेमलता उर्फ दिव्या की ओर से यह निगरानी याचिका पेश की गई है, जो कि दर्ज रजिस्टर की गई।

6. बहस निगरानी याचिका सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.07.2025 को प्रार्थीया के पक्ष में अंतरिम भरण–पोषण का आदेश पारित नहीं किया है, जो कि विधि–विरूद्ध है। प्रार्थीया ने जो तथ्य अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित किये हैं, उस पर विचारण न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का गौर नहीं किया गया है। स्वयं अप्रार्थी आईसक्रीम फैक्ट्री में कार्य कर प्रतिमाह 35 हजार रूपये कमाता है। अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से भी आय होती है लेकिन वह प्रार्थीया का किसी प्रकार का भरण–पोषण नहीं कर रहा है। बिना किसी आधार व साक्ष्य के विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थीया के अंतरिम भरण–पोषण के प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। प्रार्थीया जारता की स्थिति में अन्य किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह रही है, इस बाबत् अप्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2025 को पारित आदेश को अपास्त कर प्रार्थीया को अप्रार्थी से 20,000/–रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण के दिलवाये जावे।

8. इस संबंध में अपर अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2025 को पारित आदेश वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका अस्वीकार कर

विचारण न्यायालय के दिनांक 09.07.2025 के आदेश को पुष्ट किया जावे।

9. इस निगरानी में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2025 के द्वारा पारित आदेश युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है अथवा नहीं अथवा संशोधन किये जाने योग्य है?

10. निगरानी याचिका के मामलें में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में रिवीजन न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने का औचित्य तभी बनता है जबकि आक्षेपित आदेश अवैध, अनुचित व अनियमितता लिये हुए हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या आक्षेपित आदेश ऐसा है जिसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य है अथवा नहीं?

11. न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशिलन किया गया। इस संबंध में उभय पक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 25.11.2020 हुआ है। प्रार्थीया ने अपने अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र में उक्त तथ्य वर्णित किये हैं कि प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित दहेज उसके माता–पिता ने शादी में दिया था। अप्रार्थी और उसके परिवार वाले उसे दहेज की मांग कर तंग–परेशान करते थे और वर्ष 2021 में उसे घर से बाहर निकालकर बेदखल कर दिया था। वर्तमान में उसका भरण–पोषण उसके पति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में तथ्य वर्णित किये हैं कि जब प्रार्थीया की ओर से मुकदमा सं. 84/2022 अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं. सं. किया तो उसके द्वारा प्रार्थीया को सम्पूर्ण दहेज का सामान लौटा दिया गया था। प्रार्थीया शादी होने के पांच महिने पश्चात् ससुराल से अपने माता–पिता से मिलने के कारण चली गई थी और बिना किसी कारण अपने पीहर में आ गई थी।

12. अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीया किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करके रह रही है, इस बाबत् उनकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष और उक्त निगरानी याचिका में दौराने बहस चेट की फोटो कॉपी व फोटोग्रा्स पेश किये गये है जबकि इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने कथन किया कि जो चेट की फोटोकॉपी व फोटोग्राफ्स अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा पेश किए गये हैं, वे फर्जी हैं और उक्त फोटो

प्रार्थीया के नहीं हैं। इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसका अवलोकन किया जावे तो उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से तथ्य वर्णित है कि जब अप्रार्थी ने प्रार्थीया के संबंध में दौराने बहस दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश किये थे, उस समय प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थी और न्यायालय के द्वारा जब तथाकथित फोटो बाबत् प्रार्थीया से पूछा गया तो प्रार्थीया ने इस बाबत् इंकारी नहीं की कि फोटो में दिखाई गई महिला, वह नहीं हो। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थीया को अंतरिम भरण–पोषण की राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं माना था।

13. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अप्रार्थी की ओर से फॉर्म नं. 03 के साथ धारा 63(4)/65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र मय पैनड्राईव पेश किया गया है। यह सही है कि उभय पक्षकारान के मध्य धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. का मुकदमा विचाराधीन है लेकिन अप्रार्थी की ओर से, प्रार्थीया के किसी अन्य व्यक्ति के साथ के बाबत् जब फोटोग्राफ्स विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किये गये तो उस समय प्रार्थीया भी विचारण न्यायालय में उपस्थित थी, जिसके संबंध में न्यायालय के द्वारा जब उक्त फोटोग्राफ्स के बाबत् पूछा गया तो प्रार्थीया की ओर से उक्त फोटोग्राफ्स, जो कि अप्रार्थी की ओर से पेश किये गये थे, उसमें वह स्वयं (प्रार्थीया) नहीं हो, इस तथ्य से इंकारी नहीं की थी। यह सही है कि पत्नी का भरण–पोषण करने का दायित्व पति पर होता है लेकिन विशेष तथ्य–परिस्थितियां, जो कि धारा 125 सी.आर.पी. सी. में उल्लेखित है, वे परिस्थितियां होने पर प्रार्थीया भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं मानी जा सकती है। हालांकि अप्रार्थी की ओर से जो फोटोग्राफ्स व चेट पेश की गई है, उस बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुई है। पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से पेश किये गये अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र का निस्तारण विचारण न्यायालय के द्वारा किया गया है लेकिन इस स्तर पर प्रार्थीया के द्वारा भरण–पोषण दिलवाये जाने का प्रार्थना–पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने पर विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की ओर से पेश किये गये फोटोग्राफ्स के बाबत् कारण उल्लेखित करते हुए जो भरण–पोषण की राशि प्रार्थीया को

नहीं दिलवाई जाने बाबत् आदेश पारित किया है, वह इस स्तर पर युक्तियुक्त प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष दृष्टिगत नहीं होता है।

14. जहां तक कि अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय के द्वारा अंतरिम भरण–पोषण के प्रार्थना–पत्र के संबंध में आदेश पारित किया है, जो कि Interlocutory आदेश है, ऐसे में उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका खारिज की जावे, जबकि इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र के संबंध में पारित आदेश Interlocutory आदेश नहीं है, ऐसे में अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

15. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 09.07.2025 को अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र के संबंध में आदेश पारित किया गया है, वह **Interlocutory** आदेश है या नहीं, इस संबंध में न्यायालय को निम्न न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है :–

Three Judge Larger Bench

(Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Kumar)
(Hon'ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah)
(Hon'ble Mr. Justice Harish Kumar)

1. Dr. Dilip Kumar @ Dr. Dilip Kumar Sharma @ Dilip Sharma
Vs.
The State of Bihar & Anr.
Criminal Mis. No. 6740 of 2016

Criminal Procedure Code Section- 125 (Second Proviso) Interim Maintenance - Nature of Order - Not interlocutory -

Held, an order passed under the second proviso to Section 125 CrPC granting interim maintenance is not merely an interlocutory order. It substantially affects rights and liabilities of the parties, carries finality qua the issue of interim maintenance, and thus qualifies as an "intermediate" or "quasi-final" order.

In **Aakanksha Shrivastava Vs. Virendra Shrivastava & Anr.: 2010 (3)**

MPLJ 151 (a Division Bench judgment of the Madhya Pradesh High Court), an issue arose whether a revision petition could be preferred against an order of interim maintenance. It was held that the order of interim maintenance under Section 125 Cr.P.C. was an intermediate or quasi final order. Relying upon the judgment of **Amar Nath Vs. State of Haryana: (1977) 4 SCC 137,** it was held that an order which substantially affects the rights of an accused and decides certain rights of the parties is not to be held an interlocutory order so as to make it unrevisable.

Supreme Court in **Madhu Limaye Vs. State of Maharashtra: (1977) 4 SCC 551** in which the Supreme Court had held that ordinarily and generally, the expression interlocutory order has been understood and taken to mean as a converse of the term final order; but the interpretation and the universal application of the principle "what is not a final order must be an interlocutory order" is neither warranted nor justified.

We are thus of the considered view that an order of interim maintenance is an order finally deciding the issue of the moment, which is not, stricto sensu, an interlocutory order but an intermediary order against which no bar of preferring revision against such order would apply.

The questions are, thus, answered as follows:-

(i) An order of interim maintenance under the second proviso of Section 125 Code of Criminal Procedure, 1973 is not an "interlocutory order", but an "intermediate/quasi final order"; and

(ii) The remedy of criminal revision would be available qua both the interim and the final order under Sections 125 to 128 of the Code of Criminal Procedure, 1973 under sub-section (4) of Section 19 of the Family Courts Act, 1984.

2. Amir Khan Vs. State of Rajasthan & Ors.
2019 (2) CJ (Cri.) (Raj.) 1155

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2006-Secs. 23 & 29-Code of Criminal Procedure, 1973-Sec. 397(2)-Revision against the order of granting interim maintenance-Maintainability-Since the order passed u/s 23 though limited In Its jurisdiciton till the main proceedings is a final order, hence there is no bar of entertaining a revision.

माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जो अंतिम आदेश नहीं है, वह अंतरिम आदेश होना चाहिए, उक्त सिद्धांत की व्याख्या और

सार्वभौमिक रूप से उसका अनुपयोग उचित नहीं है और जो पक्षकारों के कुछ अधिकारों का निर्णय करता है, उसे अंतरिम आदेश नहीं माना जा सकता है व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अंतरिम भरण–पोषण के आदेश के विरूद्ध रिवीजन याचिका दायर की जा सकती है। धारा 125 सी.आर.पी.सी. के तहत अंतरिम भरण–पोषण का आदेश एक **Intermediate quasi final order** है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थीया की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था, जो कि अलग से दर्ज हुआ था, जिस पर विचारण न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसके विरूद्ध उक्त निगरानी याचिका प्रार्थीया की ओर से इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। चूंकि उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में एक **Interlocutory** आदेश नहीं है, बल्कि पक्षकारों के अधिकारों और हितों को अंतिम निर्णय तक प्रभावित करने वाला आदेश है, अतः न्यायालय मत में उक्त आदेश **Intermediate quasi final order** है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आक्षेपित आदेश के **Interlocutory** आदेश नहीं होने व **Intermediate quasi final order** होने से प्रार्थीया द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पेश निगरानी याचिका पोषणीय है।

17. फलस्वरूप उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन व पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 09.07.2025 को अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है, वह वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुसार सही है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है अतः विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2025 को पारित आदेश की पुष्टि की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

18. परिणामतः निगरानीकर्ता हेमलता उर्फ दिव्या के द्वारा ललित कुमार के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका सं. 12/2025, क.नं. 12/2025 अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2025 को पारित आदेश वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से पुष्टि की जाती है।

1. प्रार्थीया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना–पत्र वर्ष 2022 से लम्बित है और विचारण न्यायालय के द्वारा अंतिम भरण–पोषण के संबंध में प्रार्थीया के पक्ष में आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसे गिगरानी न्यायालय ने पुष्ट किया है। लेकिन प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीया को वर्ष 2021 से ससुराल से निकाल दिया गया था, जिसके पश्चात् प्रार्थीया ने वर्ष 2022 में अपने स्वयं के भरण–पोषण हेतु मूल भरण–पोषण का प्रार्थना–पत्र वर्ष 2022 में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया था, ऐसे में उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने से अब तक 04 साल की अवधि बीत चुकी है, अतः ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान को यह आदेशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे तथा विचारण न्यायालय को भी यह हिदायत दी जाती है कि वे मूल प्रकरण का निस्तारण छः माह के भीतर करें।
2. निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(आशा चौधरी, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

19. आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)